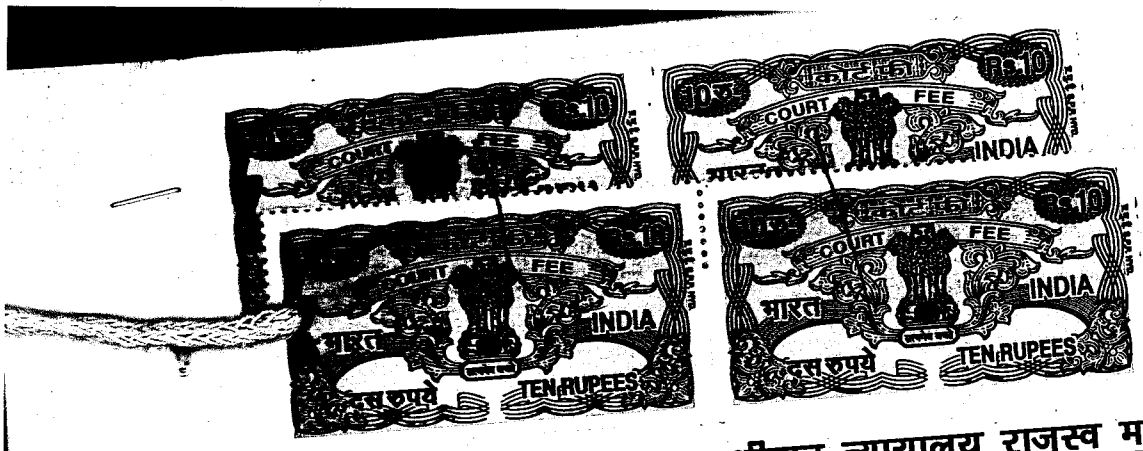

माननीय न्यायालय श्रीमान् न्यायालय राजस्व मण्डल

भोपाल म0प्र0

अपील 2099-PBR-15

रा0प्र0क्रं. /2015

1. हल्की बाई, आयु वयस्क
विधवा स्व0 श्री भारत सिंह
जाति बलाही अनु0 जाति
ग्राम कोटवार, ग्राम विशनखेड़ी

2. लक्ष्मी नारायण
पुत्र स्व0 श्री भारत सिंह

3. काशी राम पुत्र स्व0 श्री भारत सिंह
सभी निवासी– ग्राम विशनखेड़ी,
राजीव गांधी विश्वविद्यालय के पीछे,
जिला भोपाल म0प्र0 .... आवेदकगण

विरूद्ध

म0प्र0 शासन, द्वारा–
मा0 कलेक्टर महोदय, जिला भोपाल ..... अनावेदकगण

श्री अमृत बाबू अभिभाषक नरबोर द्वारा आज दिनांक 30.6.15 को भोपाल कैम्प पर प्रस्तुत
30.6.15

अपील अन्तर्गत धारा 44–ए म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 एवं दिनांक 17.06.15 को पारित आंशिक आदेश मा0 अपर आयुक्त महोदय, भोपाल सम्भाग, भोपाल के आदेश से दुखी होकर प्रस्तुत अपील प्रार्थना

A

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

(हल्कीबाई / शासन)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R A2099–पीबीआर / 15 जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01–07–2015	आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया व अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–6–15 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथमदृष्टया विधिसंगत है कि प्रश्नाधीन भूमि वास्तव में सेवा भूमि है और स्वर्गीय भारतसिंह ने तत्कालीन पटवारी से मिलीभगत कर बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से प्रश्नाधीन भूमि स्वयं एवं अपने भाई रामप्रसाद के नाम दर्ज करा ली और बाद में बटवारा कर उक्त भूमि अपने हिस्से में ले ली । प्रश्नाधीन भूमि भारतसिंह एवं रामप्रसाद के नाम से किस प्रकार आई और उन्हें उस भूमि पर किस प्रकार से स्वत्व प्राप्त हुये है, इसका कोई प्रमाण आवेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है । इस प्रकार षडयंत्र पूर्वक प्रश्नाधीन शासकीय सेवा भूमि को निजी स्वत्व की भूमि के रूप में दर्ज कराया जाना प्रमाणित है, अतः अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश पूर्णतः विधिसंगत आदेश है जो कि हस्तक्षेप योग्य नहीं है। उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अनावेदिका क्रमांक 1 को आदेशित किया गया है कि जब तक वह ग्राम कोटवार है, सेवा भूमि के रूप में भूमि का उपयोग कर सकती है । इस प्रकार अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता व अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से इसी स्तर पर अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	

1/07/15